

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(आर.सी.ढेनवाल, आई०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या

33/2014

मुंशी पुत्र अब्दुल रशीद निवासी वार्ड 25 रेल्वे स्टेशन निवाड़ी जिला टोंक राज०
—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निवाड़ी जिला टोंक

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 06.08.2018


अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निवाड़ी को आवेदन पत्र दिनांक 25.05.2018 प्रेषित/प्रस्तुत कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई:—

ख०न० 884 की नकले जिनके द्वारा प्लॉट इकरारनामा हुये हैं, उन सभी की सत्यापित प्रतियां नियत समयावधि में उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में उक्त सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निवाड़ी को पत्र क्रमांक 976 दिनांक 27.06.2018, 1057 दिनांक 09.07.2018, 1113 दिनांक 18.07.2018 व 1166 दिनांक 30.07.2018 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निवाड़ी ने पत्र क्रमांक 2619-20 दिनांक 25.07.2018 से जवाब प्रेषित किया है कि पत्र क्रमांक 2618 दिनांक 25.07.2018 से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील व प्रार्थना पत्र मूल ही उप पंजीयक निवाड़ी को अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि उपखण्ड अधिकारी निवाड़ी द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रार्थना पत्र को नियत समयावधि में उप पंजीयक निवाड़ी को अन्तरित नहीं किया गया है।

फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निवाड़ी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना उप पंजीयक निवाड़ी से प्राप्त का निर्णय की प्रति प्राप्ति से 15 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करावे। अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निवाड़ी को निर्णय की प्रति प्रेषित कि जावे।




(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एवं
प्रति अपील अधिकारी टोंक
टोंक